



राजस्थान सरकार
निदेशालय, महिला अधिकारिता
जे-7, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर
☎ 0141-5196302 ☎ 0141-5196317, 5196304



क्रमांक-प-19(1)()निमअ / साथिन / जीएसएलआई / 2018 89137-169 जयपुर, दिनांक 7/6/18

सहायक निदेशक
महिला अधिकारिता
जिला -समस्त

विषय:- साथिन बीमा योजना की कटौती के संबंध में स्पष्टीकरण बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि साथिन बीमा योजना के संबंध में प्रति साथिन की जाने वाली कटौती अग्रिम आदेशों तक पूर्वानुसार यथावत की जानी है। साथ ही प्रति साथिन रूपये 38/- की दर से बीमा अंशदान जो राज्य सरकार द्वारा जमा किया जाता है वह भी यथावत जमा किया जाना है। उक्त के संबंध में महिला कल्याण कोष बजट मदशीर्ष में बजट आवंटित कर दिया गया है।

माननीय मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान सरकार की बजट घोषणा वर्ष 2018-19 के क्रम में साथिन को सामूहिक बचत आधारित बीमा योजना के लिये देय प्रिमियम की शत प्रतिशत राशि वित्तीय वर्ष 2018-19 से राज्य सरकार के द्वारा भुगतान करने की स्वीकृति के संबंध में प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है, जिसके आदेश जल्द ही प्रसारित कर दिये जायेंगे।

(रेणु खण्डेलवाल)
अतिरिक्त निदेशक
महिला अधिकारिता
जयपुर, दिनांक 7/6/18

क्रमांक-प-19(1)()निमअ / साथिन / जीएसएलआई / 2018 89170

प्रतिलिपि- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. उपनिदेशक, (एसीपी), कम्प्यूटर प्रकोष्ठ, म.अ. को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करवाने हेतु प्रेषित है।

अतिरिक्त निदेशक
महिला अधिकारिता